DALBIR SINGH): (a) and (b) The Committee on the Financial System chaired by Shri M. Narsimham has not made any recommendation suggesting bankruptcy proceedings in respect of sick small scale industrial units in order to recover the amounts blocked in such units. Government accordingly do not propose to formulate any such scheme.

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों से प्राप्त हुए ऋण आवेदन पत्र

828. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों से कितने ऋण आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इस संबंध में कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ख) क्या ये बैंक लघु उद्योगों को समय पर ऋण नहीं देते हैं और इसके फलस्वरूप अनेक उद्योग रुग्ण हो गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऋण उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह इस प्रकार की सूचना का समेकन नहीं करता है। अलबत्ता, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि 1990–91 के दौरान उत्तर प्रदेश में लघु क्षेत्र और अति लघु क्षेत्र की 4465 इकाइयों को सावधि ऋण देने के लिए उसने राष्ट्रीय कृत बैंकों को 4197.11 लाख रुपए की-पुनर्वित्त सहायता मंजूर की है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक सामान्यतया लघु उद्योगों को समय पर ऋण प्रदान करते हैं। फिर भी ऐसी इक्का दुक्का मामला हो सकता है जिसमें बैंकों ने उधार अधिसंकुचन या ऋण पोर्टफोलियों में अति अधिक विस्तार के कारण कार्यशील पूंजी प्रदान न की हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी स्थिति में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के प्रवाह में व्यवधान न पड़े। भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियां लघु औद्योगिक इकाइयों के उन मामलों की निरंतर समीक्षा करते हैं, जिन्हें राज्य वित्तीय निगमों ने सावधि ऋण मंजूर कर दिए हैं, लेकिन जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों ने कार्यशील पूंजी मंजूर नहीं की है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि वे उद्योगों को रुग्ण होने से रोकने के लिए उन्हें समय पर कार्यशील पूंजी मंजूर करें।

Export oriented consultancy service by L.I.C.

829. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government consideration to set up a 100 per cent export oriented consultancy service on insurance management and marketing by the Life Insurance Corporation;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the export potential for the service in African and Latin American countries was surveyed by Life Insurance Corporation; and

(d) if so, what are the possibilities of export of these services to these countries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) No such proposal is under Government's consideration. However, the Life Insurance Corporation of India is examining the pros and cons of setting up consultancy service on insurance management and marketing.

(b) Does not arise.

(c) ..o, Sir.

(c) No, Sir.